* 20th Year
* Issue: 139
* 22.09.2026 (TUESDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

पंजाब में सरकार बनते ही छह महीने में नशा माफिया का नेटवर्क खत्म करेगी भाजपा-शिवराज सिंह

तलवंडी साबो २१/०९ (संवाददाता): केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर राज्य में मादक पदार्थ की समस्या को रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और वादा किया कि भाजपा के सत्ता में आने पर छह महीने के भीतर मादक पदार्थ के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया जाएगा। चौहान ने तलवंडी साबो में भाजपा की राज्यव्यापी चौथी 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' की शुरूआत की। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इससे पहले, चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, पार्टी के पंजाब प्रभारी सतीश पूनिया तथा राज्यसभा सदस्य तरुण चुग समेत अन्य नेताओं ने यहां तख्त श्री दमदमा साहिब में मत्था टेका। चौहान ने मादक पदार्थ से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। चौहान ने एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और कहा कि उनकी सरकार तय समयसीमा में पंजाब में मादक पदार्थ की समस्या खत्म नहीं कर सकी।चौहान ने कहा, ''मैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से पूछना चाहता हूं कि आपने अरविंद केजरीवाल से क्या वादा किया था? सत्ता में आने से पहले आप कहते थे कि इसे (मादक पदार्थ की समस्या को) तीन महीने में खत्म कर देंगे, छह महीने में खत्म कर देंगे। आपने समयसीमा दी थी न? लेकिन आपकी समयसीमा एक बार खत्म हुई, फिर दोबारा खत्म हुई और अब फिर से खत्म हो गई।'' उन्होंने आरोप लगाया, ''आप पंजाब को नशे में डुबो रहे हैं। मादक पदार्थ उपलब्ध कराने वालों को कौन बचा रहा है? उन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है?'' चौहान ने आरोप लगाया कि मान ''अपराध, भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी'' की सरकार चला रहे हैं।उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का संदेश लेकर पंजाब आए हैं। उन्होंने भाजपा के सत्ता में आने पर राज्य से नशे की समस्या खत्म करने का संकल्प साझा किया। चौहान ने कहा, ''सत्ता में आने के बाद भाजपा छह महीने के भीतर मादक पदार्थ के पूरे नेटवर्क को नष्ट कर देगी। यह हमारा संकल्प है। हम नशे की जड़ पर प्रहार करेंगे।'' मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल को याद करते हुए चौहान ने कहा कि उनकी सरकार ने डकैतों के खिलाफ कड़े कदम उठाए थे, और दावा किया कि छह महीने के भीतर ही इस समस्या को खत्म कर दिया गया था। चौहान ने भाजपा शासित उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया और दावा किया कि वहां की सरकार ने सभी अपराधियों का सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा, ''हमने वादा किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, लेकिन नक्सलवाद उससे एक महीने पहले ही खत्म कर दिया गया।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का संकल्प है कि ''जब तक पंजाब को नशा मुक्त नहीं कर देते, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।'' भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा नेता सुनील जाखड़ ने उन्हें बताया कि पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें सलाह जारी की गई है कि वे ''अकेले या दोपहिया वाहन से बाहर न निकलें।'' चौहान ने कहा, ''अगर किसी राज्य की पुलिस इस स्थिति में पहुंच जाए तो उस राज्य को कौन बचाएगा?'' उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा, ''चुल्लू भर पानी में डूब मरो भगवंत मान। आज आपकी पुलिस भी सुरक्षित नहीं है।'' चौहान ने कहा कि भाजपा पंजाब में ''नशा मुक्ति'' अभियान चला रही है। उन्होंने कहा, ''हम सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हमने नशा माफिया, अफीम माफिया, चरस माफिया, चिट्टा माफिया और ऐसे सभी माफिया के खिलाफ अभियान शुरू किया है।'' उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा भाजपा की यात्रा के विरोध में काले झंडे दिखाए जाने का जिक्र करते हुए कहा, ''और आप यात्रा को काले झंडे दिखाते हैं।'' इससे पहले चौहान ने नशे की लत के शिकार लोगों के परिवारों से मुलाकात की। चौहान ने कहा, ''आज जब मैंने पंजाब में प्रभावित परिवारों से बात की तो मेरा दिल पीड़ा से भर गया।

जमुई घटना तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना, लगाया गुंडाराज का आरोप

पटना २१/०९ (संवाददाता): बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 21 सितंबर को जमुई के एक वायरल वीडियो पर राज्य सरकार की आलोचना की। इस वीडियो में एक युवक के साथ मारपीट और एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होते हुए दिखाई दे रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे बिहार में गुंडा-राज या अपराधियों का शासन पूरी तरह से फैल गया है। पटना में बोलते हुए, यादव ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अब राज्य भर में महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित महसूस कर रही हैं और प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह न्याय दिलाने के बजाय ऐसे अपराधों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह वाकई एक दुखद घटना है। हमें बहुत शर्म आ रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने ऐसी घटनाओं को लेकर शर्म या मर्यादा का भाव पूरी तरह खो दिया है। इससे आज बिहार में लड़कियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि चाहे दिन हो या रात; कॉलेज, स्कूल, सड़क, हॉस्टल या फिर घर के अंदर या बाहर—बिहार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज बिहार में किसी भी लड़की से पूछ लीजिए, कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती—यही सच्चाई है। यादव ने पुलिस और राज्य प्रशासन पर अपनी नाकामियों को छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे दुखद बात यह है कि कार्रवाई करने के बजाय, सरकार और पुलिस इन मामलों को दबाने और छिपाने का काम करती है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय, वे मामलों को रफा-दफा करने पर ध्यान देते हैं। यह बेहद शर्मनाक है। बिहार में पूरी तरह से अराजकता—गुंडा-राज—का माहौल बन गया है। मारपीट और छेड़छाड़ का वीडियो ऑनलाइन सामने आने के बाद इस घटना की चौतरफा निंदा हुई। जमुई पुलिस ने इस मामले में स्न्नद्धक्र दर्ज की और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (स्ढ्ढञ्ज) बनाई। अब तक तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है और मुख्य आरोपी व अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है।

जमुई में छात्रा से अभद्रता मामले में एसआईटी ने तीन आरोपी दबोचे

जमुइ २१/०९ (संवाददाता): जमुई जिला अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा और उसके मित्र के साथ छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस अत्यंत संवेदनशील मामले को संज्ञान में लेते हुए जमुई पुलिस द्वारा त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है इस संबंध में जमुई थाना कांड सं0-428/26, दिनांक- 21.09.2026, धारा-74 /76/3(5) बी0एन0एस0 एवं 08/12 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय, जमुई विश्वजीत दयाल के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में एक विशेष स्.ढ्ढ.ञ्ज. टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है।

वायरल विडियो में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी एवं अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। अपलोड वीडियो को टेक डाउन की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, बिहार राज्य महिला आयोग ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कथित घटना पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। जमुई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विश्वजीत दयाल ने संवाददाताओं से कहा कि कथित घटना 19 सितंबर की शाम की है और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे वाहन के नंबर के आधार पर पीड़ित लड़के और लड़की का पता लगा लिया गया है। दंडविधान

उन्होंने कहा कि कथित घटना दो दिन पुरानी है, लेकिन कल तक न तो पीड़ित लड़के और न ही लड़की ने पुलिस से कोई शिकायत की थी। आज जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब हमने दोनों पीड़ितों का पता लगाया। दयाल ने बताया कि जमुई थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़ितों ने किसी आरोपी का नाम नहीं लिया है, लेकिन वीडियो फुटेज की मदद से करीब सात लोगों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दयाल ने बताया कि पीड़ित लड़का और लड़की एक ही कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं। हालांकि, उन्होंने यह कहते हुए कोई अन्य जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया कि कुछ सूचनाओं को व्यक्तिगत कारणों से गुप्त रखा जाना जरूरी है।

इस बीच, कथित 'मॉरल पुलिसिंग' का यह वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश का कारण बना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में इस घटना को बेहद विचलित करने वाली बताया। उन्होंने लिखा कि यह संस्कृति नहीं, पितृसत्तात्मकता है।

जस्टिस यशवंत वर्मा केस में एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग खारिज

नयी दिल्ली २१/०९ (संवाददाता): दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने और बाद में उसे हटाए जाने के मामले में स्न्नद्धक्र दर्ज करने और ष्टक्चढ्ढ या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। जस्टिस अमित बंसल ने याचिकाकर्ता, वकील घनश्याम उपाध्याय के अधिकार पर सवाल उठाया और कहा कि उनके पास दिल्ली पुलिस और उसके बाद सक्षम मजिस्ट्रेट के पास जाने का दूसरा रास्ता मौजूद है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की- मैं इस पर सुनवाई नहीं कर रहा हूं। यह बिना किसी ठोस आधार के किसी को फंसाने की कोशिश है। क्या आपके पास करने के लिए कोई बेहतर काम नहीं है? इसके बाद कोर्ट ने उपाध्याय को याचिका वापस लेने और कानून के मुताबिक सही उपाय अपनाने की इजाजत दे दी। खुद पेश हुए उपाध्याय ने स्न्नद्धक्र दर्ज करने और मार्च 2025 में आग लगने के बाद जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से करेंसी की कथित मौजूदगी, कस्टडी और गायब होने की CBI या SIT से स्वतंत्र जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संज्ञेय अपराधों का खुलासा करने वाली सामग्री होने के बावजूद आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई न करना मनमाना था और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि इस मामले में उपलब्ध सामग्री स्न्नद्धक्र दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए ज़रूरी महज़ शक की हद से कहीं ज़्यादा थी। याचिका में यह भी कहा गया कि इन-हाउस कमेटी और कानूनी जांच कमेटी के निष्कर्षों को भले ही अपने आप में आपराधिक अपराध का सबूत नहीं माना जा सकता, लेकिन वे यह तय करने के लिए अहम सामग्री थे कि क्या संज्ञेय अपराधों का उचित संदेह था, जिसके लिए आपराधिक जांच मशीनरी को सक्रिय करने की ज़रूरत थी। याचिकाकर्ता ने करेंसी के कथित स्रोत, मालिकाना हक, कस्टडी और गायब होने की जांच की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने आग लगने के बाद अहम सबूतों को ज़ब्त न करने और उन्हें सुरक्षित न रखने का मुद्दा भी उठाया। याचिका के अनुसार, 14-15 मार्च, 2025 की रात को नई दिल्ली में 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास के स्टोररूम/आउटहाउस में आग लग गई थी।

सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर याचिका खारिज करने का एसीजेएम का आदेश रद्द, २१ को फिर सुनवाई

नयी दिल्ली २१/०९ (संवाददाता): 1980 के दशक की शुरुआत में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े एक अहम कानूनी मामले में, राउज़ एवेन्यू स्थित स्न्नक्रस्न्नमामलों की स्पेशल कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उनके खिलाफ स्न्नद्धक्र दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। एक्टिविस्ट विकास त्रिपाठी की ओर से दायर क्रिमिनल रिविज़न याचिका को मंजूरी देते हुए, स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट का 2025 का खारिज करने वाला आदेश बिना ठोस कारण वाला और गलत था। उन्होंने मामले को 29 सितंबर को नए सिरे से सुनवाई के लिए निचली अदालत में वापस भेज दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के पिछले आदेश को रद्द करते हुए, स्पेशल जज गोगने ने शिकायत को खारिज करने के तरीके में प्रक्रियात्मक और कानूनी खामियों की ओर इशारा किया कोर्ट ने कहा कि जिस आदेश को चुनौती दी गई थी, उसमें शिकायत को खारिज करने के कारण नहीं बताए गए थे और न ही यह स्पष्ट किया गया था कि क्या कोई संज्ञेय अपराध हुआ है।

स्पेशल जज ने कहा कि यह आदेश बिना किसी तर्क या कारण के दिया गया है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। सेशंस कोर्ट ने नागरिकता के अधिकार क्षेत्र को लेकर निचली अदालत के तर्क की आलोचना करते हुए कहा कि नागरिकता के संबंध में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के बारे में की गई टिप्पणी अनुचित है। कोर्ट ने सिर्फ़ बिना वेरिफ़ाई की हुई फ़ोटोकॉपी के आधार पर शिकायत को खारिज करने की आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि शिकायत को बिना वेरिफ़ाई किए गए रिकॉर्ड की फ़ोटोकॉपी के आधार पर सिर्फ़ एक दावे के तौर पर खारिज कर दिया गया था। यह बताते हुए कि वोटर लिस्ट सिर्फ़ भारतीय नागरिकों के लिए होती है, कोर्ट ने उन आरोपों का ज़िक्र किया जिनके मुताबिक अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही, 1980 में गांधी का नाम सफ़दरजंग रोड, नई दिल्ली के पते के साथ वोटर लिस्ट में शामिल था।

जातिवार जनगणना के बाद यूपी का चार हिस्सों में हो सकता है बंटवारा-राजभर

लखनऊ २१/०९ (संवाददाता): उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राज्य के बंटवारे के लगभग दो दशक पुराने मुद्दे को फिर से उठाया है। सुभासपा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा है। राजभर ने कहा है कि जातिवार जनगणना के बाद देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटा जा सकता है। राजभर ने रविवार को देवरिया में सुभासपा की ओर से आयोजित 'सामाजिक समरसता महा रैली' को संबोधित करते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जातिवार जनगणना के बाद राज्य का बंटवारा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं 27 फीसदी आरक्षण के मामले में देश के प्रधानमंत्री के पास गया था। उन्होंने (मोदी) कहा कि ओम प्रकाश जी आपकी बात सही है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनसे आगे का रास्ता पूछा, तो प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि वह जातिवार जनगणना कराएंगे और एक बार जातियों की गिनती हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश का बंटवारा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जातिवार जनगणना के बाद बंटवारा करेंगे।卐 राजभर ने कहा, 卐अब आप ही बताइए, हमें प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए या सपा, बसपा और कांग्रेस के लोगों की बात माननी चाहिए? उत्तर प्रदेश में अगले साल प्रस्तावित विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजभर की इस टिप्पणी के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। साल 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने न केवल उत्तर प्रदेश के बंटवारे की मांग उठाई थी, बल्कि राज्य विधानसभा से उत्तर प्रदेश को अवध प्रदेश, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम प्रदेश में बांटने का प्रस्ताव भी पारित कराया था।पूर्वांचल में मुख्य रूप से राजभर और अन्य पिछड़ी जातियों का खासा असर है। सुभासपा प्रमुख ने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि जब पूर्वांचल राज्य बनेगा, तो राजभर बिरादरी का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा, 卐आज जब कोई राजभर युवा पीला गमछा पहनकर कहीं जाता है, तो उसे दूर से ही राजभर के बेटे के तौर पर पहचाना जा सकता है। नागरिकसेवाएं पाएं और अगर हमें यह पहचान किसी ने दी है, तो वह ओम प्रकाश राजभर है। राजभर ने कहा, युवाओं, हिम्मत मत हारो। राज्य को चार हिस्सों में बांटा जाएगा। और जिस दिन पूर्वांचल राज्य बनेगा, अगर किसी जाति से मुख्यमंत्री बनना होगा, तो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री राजभर का बेटा ही बनेगा। काम करते समय यह बात ध्यान में रखना। सपा, बसपा या कांग्रेस में शामिल होने के लिए गुमराह मत होना। अलग-अलग समय पर, राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) और कांग्रेस जैसी पार्टियों के अलावा कई संगठनों ने भी उत्तर प्रदेश को बांटने की मांग उठाई है। हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने राज्य के विभाजन की बात को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि उनकी पार्टी बंटवारे के पक्ष में नहीं है। निषाद ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, पहले भी उत्तर प्रदेश को बांटने की मांग की जाती रही है, लेकिन अब प्रदेश सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा, बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष विकास कोष आवंटित किए गए हैं। चुनाव कुछ ही महीने दूर हैं और इस तरह की बात भ्रामक हो सकती है।卐 सोमवार को लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश को बांटने के विचार का फिर से विरोध किया।उन्होंने कहा, जो लोग इस देश को बांटने की बात कर रहे हैं, वे इस प्रदेश को भी बांटने की बात कर रहे हैं। यह देश बहुत बड़ा है। हम सभी को हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा।

विविध समाचार

राहुल गांधी पर सीएम योगी का तीखा हमला, हामिद अंसारी के बयान पर भी उठाए सवाल

ग्रेटर नोएडा २१/०९ (संवाददाता): उज़र प्रदेश के मुज़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित 'उत्कर्ष नारी सज़्मान, युवा स्वाभिमान, प्रेरणा विमर्श-2026' के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और 'वसुधैव कुटुंबकम' की अवधारणा पर बात की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व उपराष्टपति हामिद अंसारी के बयानों को लेकर भी निशाना साधा। कार्यक्रम की इस वर्ष की केंद्रीय थीम 'उत्कर्ष ⁻ नारी सज़्मान, युवा स्वाभिमान' थी। योगी आदित्यनाथ ने वेदों और उपनिषदों में कही गई बातों का जिक्र करते हुए भारत की सांस्कृतिक सोच पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 卐भारत इसलिए भारत है, ज़्योंकि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में इसलिए है, ज़्योंकि यहां सनातन धर्म को मानने वाली बड़ी आबादी है। उनके मुताबिक, लोग अपनी ऋषि परंपरा, पूर्वजों, इष्ट देवी-

देवताओं, अवतारों, तीर्थों और विरासत पर गर्व करते हैं।

योगी ने कहा कि उपनिषद चारों दिशाओं से अच्छे विचारों के आने और उनका स्वागत करने की बात करते हैं। उनके अनुसार, इस सोच में पूजा-पद्धति का कोई भेद नहीं है और यही भारत की ऋषि परंपरा की सीख है। मुज़्यमंत्री ने कहा, अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाज़, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुज़्बक। उन्होंने इसका अर्थ समझाते हुए कहा कि यह मेरा है और यह तेरा है जैसी सोच संकुचित सोच वाले लोगों की होती है, जबकि उदार सोच रखने वालों के लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवार की यह भावना भारत और उसकी सनातन चेतना ने दुनिया को दी है।

समारोह में योगी आदित्यनाथ ने पूर्व उपराष्टपति हामिद अंसारी के एक बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत के एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रह चुके व्यक्ति का बयान देखा है। योगी ने कहा कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने पद की मर्यादा बनाए नहीं रख पाते और उसके विपरीत आचरण करते हैं। हामिद अंसारी का जिक्र करते हुए उन्होंने उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। योगी ने कहा कि उनके मुताबिक ऐसे बयान भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और भारत की परंपरा के लिए डरावने हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह दुनिया में भारत की छवि को खराब करने की कोशिशों से जुड़े उस एजेंडे का हिस्सा है, जिसे वे एंटी इंडिया फोर्सेस कहते हैं। योगी ने यह भी आरोप लगाया कि हामिद अंसारी की ओर से सनातन और हिंदू परंपरा को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की गईं और उन्हें आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश हुई। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के इंदौर में हुए 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, 卐कांग्रेस के युवराज ने भी कल अपने झूठ की गूंज में जिस प्रकार का आचरण किया, वह पूरी नारी शक्ति का अपमान है। दक्षिण-एशियाईऔर प्रवासी

इसके बाद उन्होंने भारतीय संस्कारों का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी संकरी जगह पर सामने कोई बुजुर्ग, महिला, दिव्यांग या उम्र में बड़ा व्यक्ति हो तो भारतीय परंपरा के अनुसार पहले उन्हें रास्ता दिया जाता है। योगी ने कहा कि बैठने की व्यवस्था होने पर भी भारतीय संस्कार पहले आप की भावना सिखाते हैं। उनके मुताबिक, उम्र में बड़े व्यक्ति को पहले सज़्मान देना भारतीय संस्कार का हिस्सा है। मुज़्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने इन मर्यादाओं और संस्कारों को नहीं सीखा है और जो भारत तथा भारतीयता का अपमान करना अपना लक्ष्य मानते हैं, उनसे 'वसुधैव कुटुंबकम' और यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की भावना समझने की उज़्मीद करना मुश्किल है।उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग समाज में भ्रम और अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके मुताबिक, ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे भारत बदनाम हो, देश को कटघरे में खड़ा किया जाए, युवाओं के सामने पहचान का संकट पैदा हो और नारी गरिमा पर सवाल उठें। राज्यऔर स्थानीय प्रशासन

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारतीयता पर सवाल उठा रहे हैं और मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं, उनसे सवाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, सर्वे भवंतु सुखिन:, सर्वे संतु निरामया: में कहां पर सांप्रदायिकता है? कहां पर कट्टरता है? वसुधैव कुटुंबकम में कहां पर कट्टरता है?

जमुई घटना पर भड़कीं ममता बनर्जी, भाजपा पर साधा निशाना

कोलकाता २१/०९ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल की पूर्व मुज़्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिहार के जमुई में एक लड़के और लड़की के कथित उत्पीड़न की घटना को सोमवार को ''दिल दहला देने वाली'' बताया और दावा लगाया कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सज़ा में है, वहां ''वह अन्याय का साधन'' बन जाती है। जमुई जिले में दो दिन पहले सड़क किनारे कुछ लोगों द्वारा एक लड़के और लड़की को कथित तौर पर परेशान किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद सोमवार को बिहार में इस घटना को लेकर आक्रोश उत्पन्न हो गया। पुलिस ने बताया कि कथित तौर पर घटना में शामिल तीन लोगों को गिरज़्तार किया गया है।

बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच 'एज़्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''बिहार का वीडियो दिल दहला देने वाला है। स्तज़्ध करने

वाला है और सच कहूं तो इससे मुझे बहुत, बहुत गुस्सा आया।'' उन्होंने कहा कि ''नैतिकता के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वालों को पुलिस और कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी समाज भीड़ को यह तय करने की अनुमति नहीं दे सकता कि ''कौन सज़्मान का हकदार है, किसे आजादी मिलनी चाहिए या किसे सजा मिलनी चाहिए।'' बनर्जी ने पीड़ित बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, ''मुझे माफ करना। मैं आपसे माफी मांगती हूं'' और कहा कि देश कहीं न कहीं उनकी तथा वयस्कों, संस्थानों और समाज में उनके भरोसे की रक्षा करने में विफल रहा है। बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर राजनीतिक पाखंड का आरोप भी लगाया। पूर्व मुज़्यमंत्री ने आरोप लगाया, ''भाजपा नेता उन राज्यों में न्याय की मांग करते हैं जहां वे सज़ा में नहीं हैं। लेकिन जहां वे सज़ा में हैं, वहां वे अन्याय का साधन बन जाते हैं।'' उन्होंने कहा, ''भारत, कृपया जागिए।'' घटना को लेकर बिहार महिला आयोग ने जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस घटना के बाद महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर भाजपा नीत सरकार की आलोचना हुई है। इससे पहले जमुई के पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने संवाददाताओं को बताया था कि घटना 19 सितंबर की शाम हुई थी और एक महिला अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल सभी आरोपियों की गिरज़्तारी के लिए छापेमारी कर रहा है।

मायावती ने सपा के पीडीए रथ पर साधा निशाना, कहा-मुस्लिम वोटर्स बसपा की तरफ बढ़ रहे

लखनऊ २१/०९ (संवाददाता): उज़र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले, समाजवादी पार्टी के प्रस्तावित %पीडीए रथ% और लोगों तक पहुँचने की उसकी रणनीति की बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रमुख मायावती ने आलोचना की है। सोमवार को ङ्ग पर एक पोस्ट में, मायावती ने स्क के क्ष्ठ कॉन्सेप्ट के मतलब पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि पार्टी ने चुनावी फायदों को ध्यान में रखते हुए इस शॉर्ट-फॉर्म (एक्रोनम) को बदल दिया है। उन्होंने प्रस्तावित PDA रथ के रंगों के कॉज़्बिनेशन पर भी सवाल उठाए; उन्होंने कहा कि इसमें स्क के पारंपरिक लाल रंग के बजाय केसरिया रंग ज़्यादा है, जिसे वह क्ऱ्स और क्ष्छ्क से जोड़कर देखती हैं।

मायावती ने सवाल किया कि ज़्या यह बदलाव चुनावी फायदों के लिए किया गया है और ज़्या स्क को अब मुस्लिम वोट मिलने का भरोसा नहीं रहा। मायावती ने दावा किया कि उज़र प्रदेश में मुस्लिम

समुदाय ने पिछले चुनावों में स्क का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इससे क्ष्छ्क को राज्य और केंद्र स्तर पर सरकार बनाने से नहीं रोका जा सका। उन्होंने दावा किया कि समुदाय के कुछ हिस्से अब ब्स्क की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसकी तुलना उस समर्थन से की जो पार्टी को ऊंची जातियों, खासकर ब्राह्मण वोटरों से मिला था। प्रचारअभियान और चुनाव

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, क में मुस्लिम समुदाय इस कड़वी सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि पिछले चुनावों में भारी संज़्या में स्क को वोट देने के बावजूद, पार्टी क्ष्छ्क को राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर सरकार बनाने से नहीं रोक पाई; इसलिए, वे बार-बार स्क को वोट देकर अपने वोट %बर्बाद% करने की समझदारी पर सवाल उठाते हैं। इस मामले में, वे तेज़ी से अपना समर्थन ब्स्क की ओर ले जा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऊंची जातियों और खासकर ब्राह्मण समुदाय ने किया है। उन्होंने अपराध पर काबू पाने, कानून-व्यवस्था और कामकाज के मामले में ब्स्क के रिकॉर्ड का भी बचाव किया और कहा कि पार्टी ने जन-कल्याण और विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि ब्स्क ने बार-बार यह साबित किया है -

जमुई मामले में पवन खेड़ाने सरकार को घेरा, सोशल मीडिया पर सेंसरशिप का लगाया आरोप

नयी दिल्ली २१/०९ (संवाददाता): कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने सोमवार को बिहार के जमुई का एक वायरल वीडियो शेयर किया, जिसमें कुछ लोग एक सार्वजनिक सड़क पर 10वीं कक्षा की दो छात्राओं को परेशान और उनके साथ छेड़छाड़ करते दिख रहे हैं। उन्होंने इसे भयावह बताया और कहा कि ऐसी सरकार के दौर में पितृसज़ा और महिलाओं के प्रति नफ़रत की सच्चाई को किसी भी तरह की सेंसरशिप से नहीं छिपाया जा सकता, जिसकी महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता सिर्फ़ बातों-बातों तक ही सीमित है। खेड़ा ने एज़्स पर एक पोस्ट में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इस घटना के वीडियो वाले पोस्ट को रोक रहे हैं, जिसमें उनका अपना पोस्ट भी शामिल है। जमुई की घटना इतनी

भयानक है कि एज़्स इस घटना के वीडियो या फ़ोटो वाली पोस्ट पर रोक लगा रहा है - जिसमें मेरी अपनी पोस्ट भी शामिल है। लेकिन किसी भी तरह की सेंसरशिप सच्चाई को छिपा नहीं सकती। हमारा समाज पहले से ही पितृसज़ा और महिलाओं के प्रति नफ़रत की सोच में बुरी तरह जकड़ा हुआ है। इसके साथ ही एक ऐसी सरकार हो जो महिलाओं के लिए सिर्फ़ दिखावटी बातें करती हो, तो नतीजा बहुत बुरा होता है। प्रचारअभियान और चुनाव

अगर मोदी और शाह ने महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त और मिसाल कायम करने वाली कार्रवाई की होती, तो वे जवाबदेही और डर पैदा करने का एक साफ़ मानक स्थापित कर सकते थे। इसके बजाय, ऐसे अपराधियों को बचाने और उन्हें इनाम देने की उनकी बार-बार की राजनीतिक और संस्थागत कोशिशों का उल्टा असर होता है⁻ एक ऐसा माहौल बनता है जिसमें महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा सरकार के समर्थन वाली आम बात बन जाती है, उन्होंने कहा। इससे पहले दिन में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस वीडियो की निंदा की और कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला है। राहुल गांधी ने एज़्स पर एक पोस्ट में इस घटना पर नाराज़गी जताई और सुरक्षा चिंताओं और गिरज़्तारी में देरी को लेकर राज्य प्रशासन पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि जब नाबालिगों को खुलेआम निशाना बनाया जा रहा हो, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।बिहार के जमुई का यह वीडियो बहुत परेशान करने वाला है। 10वीं ज़्लास के दो स्टूडेंट्स को सड़क पर रोका गया। उन्हें परेशान किया गया, बेइज्जत किया गया और उनके साथ छेड़छाड़ की गई। एक लड़की हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाती रही, जबकि गुंडे उसे गलत तरीके से छूते रहे और खींचकर ले गए। इन लोगों को ऐसा बर्ताव करने का हक किसने दिया? यह संस्कृति नहीं है। यह पितृसज़ा है⁻ यह सोच कि कोई भी आदमी किसी लड़की के शरीर, उसकी आवाजाही और उसकी पसंद पर कंट्रोल कर सकता है,卐 राहुल गांधी ने लिखा। कांग्रेस नेता ने भीड़ द्वारा कानून अपने हाथ में लेने और उत्पीड़न को सामान्य मानने की आलोचना की। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कड़े कानूनों के तहत तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग की और कहा कि वीडियो में दिख रहे हर व्यक्ति की पहचान कर उन पर क्ष्ह्रस्ह्र के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

निष्पक्ष चुनाव होने पर उज़र प्रदेश में 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी भाजपा-राम गोपाल यादव

लखनऊ २१/०९ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी के राष्टीय महासचिव राम गोपाल यादव ने सोमवार को कहा कि अगर 2027 में उज़र प्रदेश विधानसभा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराए जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते हैं, तो क्ष्छ्क को 2027 में 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी। यादव ने ज़ोर देकर कहा कि मतदाताओं ने राज्य में समाजवादी पार्टी को सज़ा में लाने का फ़ैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने आने वाले चुनाव की कमान खुद अपने हाथों में ले ली है और समाजवादी पार्टी को सज़ा में लाने का मन बना लिया है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहले हुए चुनावों में साफ़ तौर पर धांधली हुई थी, इसीलिए लोग सवाल उठा रहे हैं। हमें शक है कि ज़्या चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने की हिज़्मत दिखा पाएगा। अगर

चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, तो निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। उनके ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब राजनीतिक पार्टियां 2027 के उज़र प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी तेज़ कर रही हैं। बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक और जन-संपर्क गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी चुनावों से पहले अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। भौगोलिकसंदर्भ

यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर यादव ने अलग-अलग समुदायों के बीच इसके लागू होने की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे उज़राखंड में लागू किया है। उन्हें इससे ज़्या मिला? उन्होंने आगे समझाया कि सभी धर्मों के रीति-रिवाज़ और परंपराएं अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, मुसलमानों में चचेरे भाई-बहन से शादी को स्वीकार्य माना जाता है, जबकि हिंदुओं में कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। ऐसे में, ज़्या यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है? यादव ने बीजेपी की जनसभाओं की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों और दूसरे समूहों के लोगों को लाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की रैलियों में आम जनता नहीं आती।आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सरकारी शिक्षकों, आशा कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों को पैसे देकर लाया जाता है; आम जनता नहीं आती। सरकारी नीतियों के बारे में उन्होंने कहा, लोगों के हित में कोई कानून नहीं बनाया जा रहा है। हर कानून लोगों की जेब खाली करने के लिए बनाया जा रहा है।

दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई टली, ३० को अगली तारीख

नयी दिल्ली २१/०९ (संवाददाता): दिल्ली उच्च न्यायालय ने उज़र-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित ''व्यापक साजिश'' से जुड़े यूएपीए मामले में सोमवार को कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 30 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की पीठ ने दिल्ली पुलिस के वकील द्वारा स्थगन का अनुरोध किए जाने के बाद सुनवाई टाल दी। विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो सके हैं।

पीठ ने कहा, ''मामले की सुनवाई 30 सितंबर के लिए स्थगित की जाती है।'' खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 के दंगों के कथित मुज़्य षड्यंत्रकारियों में शामिल होने का आरोप है। दंगों में 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 और राष्टीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान यह हिंसा भड़की थी। कार्यकर्ता खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत कई अन्य लोगों पर भी कथित व्यापक साजिश में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस का विशेष प्रकोष्ठ कर रहा है।

अदालत ने सोमवार को ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई भी टाल दी और इसे नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया। चार जुलाई को निचली अदालत द्वारा जमानत याचिकाएं तीसरी बार खारिज किये जाने के बाद खालिद और इमाम ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। इमाम को इस मामले में 25 अगस्त 2020 को गिरज़्तार किया गया था, जबकि खालिद को 13 सितंबर 2020 को गिरज़्तार किया गया था।

दिल्ली पुलिस ने उच्च न्यायालय में दोनों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए उन्हें दंगों का ''मुज़्य षड्यंत्रकारी'' बताया है। पुलिस ने कहा है कि दोनों मामले में अन्य सह-आरोपियों के समानता के आधार पर जमानत का दावा नहीं कर सकते। पुलिस ने यह भी कहा है कि मौजूदा जमानत याचिकाएं उच्चतम न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश के विपरीत हैं।

उस आदेश में कहा गया था कि उन्हें संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद या एक वर्ष पूरा होने पर, जो भी पहले हो, ही रिहाई की मांग करनी चाहिए। चार जुलाई को निचली अदालत ने खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसके पास उच्चतम न्यायालय के पांच जनवरी के आदेश का पालन करने के अलावा ''कोई विकल्प नहीं'' है और इसलिए वह याचिका पर ना तो विचार कर सकती है और ना ही उन्हें राहत दे सकती है। उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने दो सितंबर 2025 को खालिद और इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने पांच जनवरी को इस फैसले को बरकरार रखा, लेकिन सह-आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहज़्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत दे दी। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ ने उस वक्त कहा था कि खालिद और इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। शीर्ष अदालत ने 22 मई को सह-आरोपी अज़्दुल खालिद सैफी और तस्लीम अहमद को छह महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

विविध समाचार

पंचक में क्यों की जाती है पंचमुखी हनुमान की पूजा?

हर माह में पंचक के वो 5 दिन आते हैं जब हर प्रकार के शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। हिन्दू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में पंचक को बहुत अशुभ माना जाता है और पंचक का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के उपाय बताये गए हैं पंचक के अशुभ प्रभाव को नष्ट करने के लिए। इन्हीं में से एक है पंचमुखी हनुमान जी की पूजा का उपाय। ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स ने हमें बताया कि पंचक में हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा करने का बड़ा महत्व है और साथ ही, इससे कई अद्भुत लाभ भी मिलते हैं।

पंचक में पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से क्या होता है?

पंचक एक ऐसा समय होता है जब चंद्रमा 5 नक्षत्रों धनिष्ठा, शततारका, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती से गुजरता है। ज्योतिष में इस अवधि को अशुभ माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किए गए कुछ कार्य नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। पंचमुखी स्वरूप भगवान हनुमान का एक विशेष रूप है जिसमें उनके 5 मुख हैं- हनुमान, नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव। प्रत्येक मुख एक विशेष शक्ति और उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। पंचक में पंचमुखी हनुमान की पूजा को बहुत प्रभावशाली माना जाता है। पंचक के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। पंचमुखी हनुमान की पूजा इस नकारात्मकता को दूर करने और घर तथा व्यक्ति के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करती है। भगवान हनुमान स्वयं सभी प्रकार की बुरी शक्तियों और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करने वाले माने जाते हैं, और उनका यह पाँच मुखी रूप इस शक्ति को और बढ़ाता है। पंचक में किसी भी प्रकार का संकट या परेशानी आने की संभावना बढ़ जाती है। पंचमुखी हनुमान संकटमोचन हैं, और उनकी पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाओं और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। यह माना जाता है कि वे अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से बचाते हैं। पंचक के दौरान अज्ञात भय या तनाव महसूस हो सकता है। नरसिंह का मुख भय को दूर करने वाला माना जाता है। पंचमुखी हनुमान के इस रूप की पूजा करने से मन शांत होता है और भय व चिंताएं दूर होती हैं।

हनुमान शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक हैं। पंचक के दौरान शारीरिक या मानसिक कमजोरी महसूस होने पर पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। यह आपको चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। पंचक नक्षत्रों से जुड़ा होने के कारण ग्रहों के कुछ अशुभ प्रभाव बढ़ सकते हैं। पंचमुखी हनुमान की पूजा ग्रहों के इन नकारात्मक प्रभावों को शांत करने और उनसे सुरक्षा प्रदान करने में सहायक हो सकती है।

घर पर रहती है बिना वजह अशांति, तो वास्तु के ये उपाय आएंगे काम

अगर आपका घर बन चुका है और बाथरूम, किचन या स्टोर रूम में बदलाव संभव नहीं है, तो कुछ आसान उपायों से आर्थिक गृह क्लेश से मुक्ति पा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आइए एस्ट्रोलॉजर से जानें वास्तु के कुछ आसान उपाय जो आपके घर में शांति बनाए रख सकते हैं।

क्या आपके घर में बिना किसी कारण के अशांति बनी रहती है? क्या परिवार के सदस्यों में अक्सर झगड़े होते रहते हैं? क्या आपके घर में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है? अगर ऐसा है, तो इसका कारण वास्तुदोष हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, घर का सही संतुलन न होने से नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है, जिससे मानसिक शांति भंग होती है। घर में सुख-शांति बनाए रखने के लिए वास्तु के कुछ आसान और प्रभावी उपाय आजमाए जा सकते हैं। सही दिशा में रखी गई चीजें, घर की स्वच्छता, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाले उपाय और वास्तु अनुकूल वातावरण न केवल मन को शांत रखते हैं, बल्कि घर में खुशहाली भी लाते हैं।

मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ॐ का चिन्ह बनाएं

यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक या ॐ का निशान बनाते हैं, तो यह न केवल सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करने में सहायक होता है। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में शुभता, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है, जबकि ॐ का उच्चारण और इसका चिह्न घर में आध्यात्मिक शांति और ऊर्जा को बढ़ाता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, स्वास्तिक और ॐ का चिन्ह मंगल दोष को कम करने में सहायक होता है और घर में सुख-समृद्धि बनाए रखता है। इसे बनाने के लिए गेरू, हल्दी या रोली का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। इसे नियमित रूप से स्वच्छ रखें और खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को इसका पूजन करें, जिससे घर में सकारात्मकता बनी रहे और बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाए।

बेड के सामने न रखें टेलीविजन या आईना

वास्तु शास्त्र के अनुसार, बेडरूम में बिस्तर के ठीक सामने टेलीविजन या आईना रखना नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है और गृह क्लेश का कारण बन सकता है। टेलीविजन या आइने में सोते समय हमारी छवि दिखाई देती है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो मानसिक अशांति, तनाव और दांपत्य जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकती है। विशेष रूप से रात के समय ऐसा करने से आपकी नींद में बाधा आती है और स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी वजह से टेलीविजन या आइना हटाना संभव न हो, तो सोते समय इसे कपड़े से ढककर रखें या बेड की दिशा बदलने पर विचार करें। यह सरल उपाय आपके घर की शांति बनाए रखने में सहायक होगा और अनचाही परेशानियों से बचाव करेगा।

बाथरूम में अपनाएं ये वास्तु उपाय

घर के बाथरूम का दरवाजा हमेशा लकड़ी का होना चाहिए, किसी भी धातु से बना दरवाजा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा आपके घर के बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी नहीं रखनी चाहिए। घर के बाथरूम में हमेशा पानी से भरी बाल्टी रखें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यदि घर में ज्यादा बाल्टियां हैं, तो उन्हें उल्टा करके रखें या उनमें पानी भरकर ही रखें।

नया घर बना रहे हैं तो वास्तु के इन नियमों का करें पालन

- जो लोग नया घर बना रहे हैं, उन्हें किसी वास्तु विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए।
- आपको कभी भी मुख्य द्वार के पास डायनिंग टेबल नहीं रखनी चाहिए।
- घर के सभी सभी कमरे हवादार और रोशनी से भरपूर होने चाहिए। घर का कोई भी कमरा अंधेरे स्थान पर नहीं होना चाहिए।
- सभी कमरों का आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए।
- घर का मुख्य द्वार कभी भी काले रंग का नहीं होना चाहिए। काला रंग नकारात्मकता को बढ़ावा देता है और घर के वास्तु दोष का कारण बनता है।
- घर के मुख्य द्वार के पास फव्वारा या पानी से संबंधित कोई भी वस्तु न रखें। मुख्य द्वार के आस-पास अंधेरा नहीं होना चाहिए।
- इन आसान उपायों को अपनाकर आप घर के वास्तुदोष को कम कर सकते हैं और सुख-शांति व समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। यही नहीं इन उपायों से आपके घर की अशांति भी दूर होती है।

झाड़ू से जुड़े वास्तु नियम

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में कभी भी दो झाड़ू को एक साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक समस्याओं को आमंत्रित कर सकता है। झाड़ू को सही स्थान पर रखने से न केवल घर की सफाई बनी रहती है बल्कि धन की स्थिरता भी बनी रहती है। इसे हमेशा उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और आर्थिक समृद्धि को बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा, झाड़ू को कभी भी खुली जगह में न रखें और न ही इसे पैर लगने दें, क्योंकि यह धन हानि का कारण बन सकता है। झाड़ू को इस्तेमाल के बाद हमेशा एक निश्चित स्थान पर रखें और रात में झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि इसे आर्थिक नुकसान और दुर्भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। इन सरल वास्तु नियमों का पालन करके आप अपने घर में सकारात्मकता और समृद्धि बनाए रख सकते हैं।

अधिक पूजा-पाठ करने वाले लोग क्यों रहते हैं परेशान

पूजा-पाठ करना बहुत सुंदर भाव है। इससे व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है और उसका सुखमय रहता है। साथ ही भगवान के प्रति उसकी आस्था भी बढ़ने लग जाती है। हर मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान और कर्म बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ भगवान की भक्ति भी जरूरी होती है, लेकिन बिना कर्म, ज्ञान और भक्ति के पूजा सिद्ध नहीं मानी जाती है। पूजा-पाठ करना बहुत ही सुंदर और पवित्र भाव होता है।

इससे व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है और आंतरिक शांति भी मिलती है। अगर व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं। क्योंकि ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेता है, जिससे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता है। पूजा-पाठ एक कर्म भी माना जाता है। जिसका समुचित फल व्यक्ति को समय के अनुसार मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की सच्चे मन से पूजा करता है, वह परेशान रहता है।

अधिक पूजा-पाठ (पूजा-पाठ नियम) करने वाला व्यक्ति इसलिए परेशान रहता है, क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं, जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। भगवान उसे हर कठिनाइयों से मुक्त करना चाहते हैं, ताकि उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़ें। वहीं भक्त भी सच्चे हृदय से अपने आराध्य की पूजा करता है, ताकि ईश्वर के प्रति उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहे और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी उसका कुछ न बिगाड़ सके।

ईश्वर अपने भक्तों को देते हैं शक्ति

ईश्वर अपने भक्तों को कभी उदास नहीं देख सकते हैं और वह नहीं चाहते हैं कि दूसरे उन्हें परेशान करें और उन्हें हानि पहुंचाएं। इसलिए भगवान (श्रीहरि मंत्र)अपने भक्तों को अकेले रहने की शक्ति देते हैं, ताकि वह हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकें।

भक्त श्रद्धा भाव से करें ईश्वर की पूजा

भक्तों अगर आप ईश्वर की पूजा कर रहे है, तो उनकी पूजा में कभी गलती न करें। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कई बार पूजा-पाठ करने के दौरान छोटी-छोटी गलती कर देते हैं, जिससे हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है,लेकिन भगवान कभी भक्त का नियम नहीं देखते हैं, कि वह किसी विधि और नियम से पूजा कर रहा है। वह तो बस यही चाहते हैं कि भक्त श्रद्धाभाव से उनको याद करें। ईश्वर एक शक्ति और भाव हैं। उसी भक्त पर ईश्वर की कृपा होती है, जो सरल, श्रद्धा और अपनत्व का जीवन जीते हैं।

हिंदुओं में एक ही गोत्र में शादी करने की क्यों होती है मनाही

हिंदू धर्म में शादियों के लिए कई प्रथाएं प्रचलित हैं। शादी की कई रस्मों से लेकर रीति रिवाजों तक न जाने कितनी बातें हैं जो इन शादियों को खास बनाती हैं। यूं कहा जाए कि अपनी प्रथाओं की वजह से ही हिंदू शादियों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है और इन रिवाजों का पालन करने से रिश्ता मजबूत बना रहता है। ऐसे ही शादियों से पहले की भी कुछ प्रथाएं हैं जैसे शादी से पहले कुंडली का मिलान करना, कुंडली में सभी तरह की बातों को ध्यान में रखकर शादी को आगे बढ़ाना और इन्हीं रिवाजों में से एक है कुंडली के साथ गोत्र का मिलान करना।

जिस तरह कुंडली मिलान को एक सफल शादी की बुनियाद माना जाता है उसी तरह यह भी मान्यता है कि एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए। आपमें से कई लोगों ने बड़ों से ये बात कहते हुए कई बार सुनी होगी और शायद इसका कारण ठीक से पता न चल पाया हो।

ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि गोत्र सप्तऋषि (कौन है सप्तऋषि) के वंशज का रूप है, जिसका अर्थ है 7 ऋषि। सात ऋषि अंगिरस, अत्रि, गौतम, कश्यप, भृगु, वशिष्ठ और भारद्वाज हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार वैदिक काल से ही गोत्रों का वर्गीकरण अस्तित्व में आया था। वास्तव में सैम गोत्री विवाह और गोत्र का चलन रक्त संबंधियों के बीच विवाह से बचने के लिए स्थापित किया गया था और इस प्रकार यह निर्धारित करने के लिए बाद में सख्त नियम बनाए गए कि कौन किस वंश से विवाह कर सकता है। उसी के साथ इस बात की मनाही भी हुई कि किसी एक ही गोत्र के लड़के को उसी गोत्र की लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए।

एक ही गोत्र में विवाह वर्जित क्यों हैं?

ज्योतिष की मानें तो एक ही गोत्र में विवाह इसलिए वर्जित होता है क्योंकि मान्यता है कि एक गोत्र का मतलब है कि हमारे पूर्वज भी एक ही थे। इस लिहाज से ये बात सामने आती है कि एक ही गोत्र के लड़के और लड़की आपस में भाई- बहन का रिश्ता रखते हैं। यदि ज्योतिष की न भी मानें तो ये वैज्ञानिक कारणों से भी वर्जित होता है। दरअसल लड़के और लड़की के बीच डीएनए के घनिष्ठ संबंध उनके वैवाहिक जीवन से लेकर संतान प्राप्ति तक में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। समान गोत्र वाले लोगों को सगे रिश्तों की तरह माना जाता है और समान-गोत्र-शादियों से बचने के लिए दिया गया तर्क यह है कि जीन की निकटता के कारण आनुवंशिक विकृति उत्पन्न हो सकती है।

किन गोत्रों में नहीं की जाती शादी

हिंदू रिवाजों की मानें तो विवाह (जल्दी शादी के उपाय) तीन गोत्र छोड़कर ही करना चाहिए। इसमें अपना गोत्र, माता का गोत्र और पिता की माता यानी कि दादी के गोत्र को छोड़कर किसी भी गोत्र में शादी करने की सलाह दी जाती है। ज्योतिष में इन गोत्रों में शादी करने से आगे के जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं।

क्या एक गोत्र में विवाह किया जा सकता है?

कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि सात पीढ़ी के बाद गोत्र बदल जाते हैं अर्थात सात पीढ़ी से यदि एक ही गोत्र चला आ रहा है तो आठवीं पीढ़ी से गोत्र में परिवर्तन होने की वजह से इस तरह का विवाह किया जा सकता है।

क्या है वैज्ञानिक कारण

अगर वैज्ञानिक शोधों की मानें तो आनुवंशिक बेमेल और संकर डीएनए संयोजनों के कारण रक्त संबंधियों के बीच विवाह करने से संतान पैदा करने में समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की संतान को कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि आजकल विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि लोग ऐसी शादियां करते हैं और उनकी संतान भी स्वस्थ पैदा होती है। लेकिन ज्योतिष और विज्ञान दोनों के अनुसार ऐसा विवाह न करने की सलाह ही दी जाती है।

कलिंग समाचार

संपादकीय

सांप्रदायिकता की आंच में तपती देवभूमि

हमारा देश जब लोकतंत्र की स्थापना के 78वें वर्ष की ओर कदम बढ़ा रहा था, तब देवभूमि कहे जाने वाले उसके ही एक प्रान्त में एक सदी से भी ज़्यादा पुरानी विरासत पर भद्दी गालियों, जय श्रीराम और बजरंग बली की जय जैसे आक्रामक नारों के साथ हथौड़े और सब्बल चलाये जा रहे थे, वहां रखे धार्मिक ग्रंथों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी। दरअसल, मसूरी के एक मिशनरी स्कूल की निजी ज़मीन पर स्थित बाबा बुल्ले शाह की मजार बहुसं यक गुंडागर्दी की बलि चढ़ गई। उसके साथ मौजूद दो अन्य मज़ारों को भी तोड़ दिया गया, वहीं दानपेटी को तोड़कर नकदी निकाल ली गई। भाईचारे और सौहार्द्र का प्रतीक रही बुल्ले शाह की मज़ार के परिसर में रविवार की शाम मुट्ठी भर हिन्दूवादी जूते पहनकर घुस गये और अपने घटिया इरादों को अंजाम दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। मसूरी पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों सहित 25-30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बीच हिन्दू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने अपने संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तोडफ़ोड़ की ज़ि मेदारी ली है। पुलिस कब और कैसे इस दावे का संज्ञान लेती है, देखना होगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में राहत की बात ये रही कि पुलिस में शिकायत करने जाने वालों में केवल मुस्लिम संगठन ही नहीं, दूसरे समुदायों के लोग भी शामिल थे। बाबा बुल्ले शाह- जिन्हें बुल्लेया कहकर भी संबोधित किया जाता है, एक क्रांतिकारी दार्शनिक, समाज सुधारक और कवि थे, जिन्हें पंजाबी भाषा के महानतम कवियों में से एक माना जाता है और जिनका स मान पंजाबी ज्ञानोदय के जनक% के रूप में है। उनका असल नाम सैयद अब्दुल्लाह शाह कादरी था और उन्हें हज़रत मुहमद साहब की पुत्री फातिमा का वंशज माना जाता है। उनके पिता शाह मुह मद थे जिन्हें अरबी, फारसी और कुरान शरीफ़ का अच्छा ज्ञान था। पिता के नेक जीवन का प्रभाव बुल्ले शाह पर भी पड़ा और शायद इसीलिए सैयद यानी ऊंची जाति से होते हुए भी उन्होंने निचली जाति आराइन के शाह इनायत को अपना गुरु बनाया। हिन्दी और पंजाबी में अनगिनत गीत बुल्ले शाह की रचनाओं पर आधारित हैं या उनमें बुल्ले शाह का हवाला है। 1970 के दशक में नरेंद्र चंचल का गाया गीत- बेशक मंदिर-मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता / पर प्यार भरा दिल कभी न तोड़ो, जिस दिल में दिलबर रहता हरेक किशोर और युवा की ज़बान पर हुआ करता था। लगभग दो दशक पहले मशहूर पंजाबी गायक रब्बी शेरगिल ने बुल्ला की जाणा मैं कौन% गाकर तारीफें हासिल की तो करीब एक दशक पहले रणबीर कपूर पर फिल्माया गया यार बुल्लेया गीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दमादम मस्त कलंदर तो बाबा बुल्ले शाह की सदाबहार रचना है ही। लेकिन धर्म का इकहरा और बेसुरा राग अलापने वाले जाहिल क्या जानें कि कविता क्या होती है और उसे संगीत में पिरोना क्या होता है, बुल्ले शाह की रचनाओं और उनके दर्शन को समझना तो बहुत दूर की बात है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बुल्ले शाह की मज़ार पर हमला सुनियोजित ढंग से किया गया हो। ताज्जुब है कि एक हिन्दूवादी संगठन खुलकर इस हमले की जि मेदारी ले रहा है, लेकिन उसकी भनक तक पुलिस को नहीं लगी। क्या यह सीधे-सीधे पुलिस के निगरानी और सूचना तंत्र की असफलता नहीं है। वैसे, उत्तराखंड जिस तेजी से हिन्दुत्व की प्रयोगशाला बनता जा रहा है, उसे देखकर यह माना जा सकता है कि धर्म के नाम पर उपद्रव करने वालों को कहीं न कहीं से शह मिल रही है और कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये ज़ि मेदार केवल खानापूरी कर रहे हैं। सबरंग इंडिया वेबसाइट ने इस पहाड़ी प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए गठित संघ (एपीसीआर) की तथ्यान्वेषी रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें 2021 और 2025 के बीच उत्तराखंड के कई जिलों में मुसलमानों को प्रभावित करने वाली सांप्रदायिक हिंसा, धमकी, बेदखली, विस्थापन और उनके धर्मस्थलों पर हमले की घटनाओं की एक श्रृंखला का दस्तावेजीकरण किया गया है।

जलवायु-परिवर्तन से जीत सकती हैं महिलाएं

अपूर्वा श्रीवास्तव

महिलाएं शिक्षित और जागरूक होंगी, तो वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। वे जनसं या वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों और घरेलू निर्णय-प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। इसके साथ ही वे उपभोग के पैटर्न में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। खाद्य, ऊर्जा और अन्य संसाधनों के उपयोग के संबंध में वे अधिक समझदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने में सक्षम होंगी।

महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण बनाया जाए कि वे सुरक्षित रह सकें - यह वाक्य हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएँ सामने आती हैं जो महिलाओं को असुरक्षित महसूस कराने के लिए पर्याप्त हैं। %राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो% (एनसीआरबी) के आँकड़े भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की ओर संकेत करते हैं। जब हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो यह केवल सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि उस व्यापक वातावरण से भी जुड़ जाता है जिसमें हम सभी रहते हैं।

वातावरण हमारे चारों ओर का वह परिवेश है जिसमें सभी जैविक और अजैविक तत्व शामिल हैं। यह वही बाहरी घेरा है जो हमारे जीवन, व्यवहार और विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिसे अक्सर पर्यावरण भी कहा जाता है। आज यह वातावरण संतुलित नहीं रह गया है। तापमान बढ़ रहा है और जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो रही है। इसका खामियाजा भी भेदभाव से भरा हुआ है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जेंडर-न्यूट्रल नहीं है। यानी इसके नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर सबसे अधिक पड़ते हैं। कई मायनों में जलवायु परिवर्तन मानवीय अधिकारों को भी पीछे धकेल देता है।

जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नाटकीय रूप से बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए बाढ़ में महिलाओं की मृत्यु अधिक होती है क्योंकि उन्हें जिन्दा रहने के कौशलों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को खेल-कूद से दूर रखा जाता है। महिलाओं के खानपान का कम याल रखा जाता है जिसके चलते भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हमेशा होती है। परिवारों में वे आखिर में खाना खाती हैं। इस तरह की सामाजिक संरचनाएँ संकट के समय में उनकी स्थिति को और कमजोर बना देती हैं। स्पष्ट है, जलवायु परिवर्तन की मार महिलाओं पर अधिक पड़ रही है।

गर्मी, सूखा, तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं की वजह से महिलाओं को ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। 1991 में बांग्लादेश में आए चक्रवाती तूफान में मरने वालों में लगभग 91 प्रतिशत महिलाएं थीं। इसका एक कारण यह भी था कि उनमें से बहुत सी महिलाएं तैरना नहीं जानती थीं। तैरना इसलिए नहीं जानती थीं, क्योंकि वे घर के भीतर ही रहती थीं और अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं होती थी। इसी तरह 2003 में यूरोप में जब भीषण हीट-वेव आई, मरने वालों में महिलाओं की सं या सबसे अधिक थी। महिलाओं की मृत्यु-दर पुरुषों की तुलना में डीहाइड्रेशन और हृदय संबंधी समस्याओं के कारण लगभग 15-20 प्रतिशत अधिक थी। ज़्यादा जानें समाचार पत्र विज्ञापन ताज़ा ख़बरें सूचना समाचार बुलेटिन जलवायु परिवर्तन के कारण महिलाओं पर हिंसा भी बढ़ती है। कई

इसे केवल चर्चा का विषय बनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे प्राथमिकता के साथ लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों के व्यवहार में भी आमूलचूल बदलाव लाना जरूरी है। संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना और पर्यावरण के प्रति जि मेदार रवैया अपनाना एक जागरूक नागरिक की जि मेदारी होनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल वर्तमान समाज को लाभ होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा। महिलाओं की बुनियादी शिक्षा, उनके खान-पान और खेलकूद पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो वे शारीरिक रूप से मजबूत बन पातीं हैं।

द्वीपीय देशों में चक्रवाती तूफानों के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि देखी गई है। कई स्थानों पर अस्थायी राहत शिविरों में भी महिलाओं को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में मौसम के चलते फसल खराब होने के बाद परिवारों द्वारा लड़कियों को बेचकर मवेशी खरीदने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। दक्षिण केन्या में फिश फॉर सेक्स जैसी प्रथा का उल्लेख मिलता है, जहां मछली के बदले लड़कियों का शारीरिक शोषण किया जाता है। एक स्वीडिश अध्ययन के अनुसार पुरुष औसतन केवल दो प्रतिशत अधिक खर्च करते हैं, लेकिन कार्बन उत्सर्जन के लिए वे लगभग 16 प्रतिशत अधिक जि मेदार होते हैं। इसका कारण यह है कि पुरुष अधिक बाहर निकलते हैं और पेट्रोल-डीजल का अधिक उपयोग करते हैं, जिससे %ग्रीनहाउस गैसों% का उत्सर्जन बढ़ता है। जलवायु परिवर्तन के चलते और गहरी होती लैंगिक असमानता को समझना जरूरी है। उड़ीसा में आए एक साइक्लोन की केस-स्टडी में सामने आया कि प्राकृतिक आपदा के बाद आर्थिक संकट के कारण एक परिवार ने अपनी बेटी को नौकरी के लिए बाहर भेज दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसे बांग्लादेश में बेच दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साइक्लोन के कारण उनकी कृषि भूमि लगभग 10 साल के लिए उपज के लायक नहीं बची थी। वहीं महाराष्ट्र में %वॉटर वाइफ% यानी %पानी-बाई% देखने मिलतीं हैं, जिसमें पानी भरने के लिए पुरुष कई महिलाओं से विवाह करते हैं। यह जलवायु संकट से जुड़ा एक सामाजिक और लैंगिक अन्याय है। ज़्यादा जानें राजनीतिक विश्लेषण रिपोर्ट खेल समाचार ऐप ई-पेपर सदस्यता ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पुरुष रोजगार के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं। ऐसे में परिवार, खेती और बुजुर्गों की जि मेदारी महिलाओं पर आ जाती है। इसलिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि उन्हें जलवायु परिवर्तन से बचाने के उपाय किए जाएं। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि लगभग 33 प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें से केवल 15 प्रतिशत के पास ही जमीन का मालिकाना अधिकार है। इकोफेमिनिज्म पुस्तक की लेखक, पर्यावरणविद् वंदना शिवा ने जलवायु परिवर्तन पर विस्तार से लिखा है। उनका कहना है कि %ग्लोबल साउथ% की महिलाएं केवल पर्यावरण विनाश से पीड़ित नहीं हैं, बल्कि वे पर्यावरण की अग्रिम पंक्ति की रक्षक भी हैं। वंदना शिवा कहती हैं कि जिसे हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, वह इतिहास के एक छोटे से दौर में विकसित हुआ एक संकीर्ण पितृसत्तात्मक प्रोजेक्ट है। आधुनिक विज्ञान की यह धारा प्रकृति को एक यांत्रिक और शोषण योग्य वस्तु के रूप में देखती है। औद्योगिक क्रांति के समय ऐसी ज्ञान-प्रणाली विकसित हुई जिसने प्रकृति के दोहन को बढ़ावा दिया। इसके विपरीत संरक्षण, पुनर्जीवन और संतुलन से जुड़ा ज्ञान, जो अक्सर महिलाओं, किसानों, आदिवासियों और स्थानीय समुदायों के पास था, उसे हाशिए पर डाल दिया गया। समस्याओं से बचने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय शिक्षा है, लेकिन यहां केवल सामान्य या जेनेरिक शिक्षा की बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो जलवायु से जुड़ी हो। लोगों को अपने स्थानीय जलवायु, भूगोल और पर्यावरण की समझ होना बेहद जरूरी है। जब व्यक्ति अपने आसपास के पर्यावरण को समझेगा, तभी वह उसके संरक्षण के लिए जि मेदार व्यवहार भी अपनाएगा। जलवायु आधारित शिक्षा केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर तबके और हर उम्र के लोगों के लिए आवश्यक है। ज़्यादा जानें चुनावी जागरूकता अभियान बॉलीवुड समाचार सेवा चुनावी सर्वेक्षण उपकरण जलवायु परिवर्तन की समस्या को कम करने के लिए बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इसे केवल चर्चा का विषय बनाकर छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे प्राथमिकता के साथ लागू करने की जरूरत है। इसके साथ ही लोगों के व्यवहार में भी आमूलचूल बदलाव लाना जरूरी है। संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, ऊर्जा की बचत करना और पर्यावरण के प्रति जि मेदार रवैया अपनाना एक जागरूक नागरिक की जि मेदारी होनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल वर्तमान समाज को लाभ होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित भविष्य मिल सकेगा। महिलाओं की बुनियादी शिक्षा, उनके खान-पान और खेलकूद पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तो वे शारीरिक रूप से मजबूत बन पातीं हैं। महिलाएं शिक्षित और जागरूक होंगी, तो वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ पाएंगी। वे जनसं या वृद्धि, स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों और घरेलू निर्णय-प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। इसके साथ ही वे उपभोग के पैटर्न में भी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। खाद्य, ऊर्जा और अन्य संसाधनों के उपयोग के संबंध में वे अधिक समझदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने में सक्षम होंगी। महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण न केवल समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेलिंडा गेट्स ने अपनी किताब %द मूमेंट यू लि ट - हाउ एंपावरिंग वुमेन चेंज द वर्ल्ड% में कहा है, %जब आप एक महिला को ऊपर उठाते हैं तो पूरी मानवता ऊपर उठती है।

पैसे से पिछड़ता न्याय

अमरपाल सिंह वर्मा

देश की जेलों में आज भी बड़ी सं या में ऐसे कैदी बंद हैं जिन्हें अदालतें जमानत या पैरोल दे चुकी हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वे सलाखों के पीछे पड़े हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है मगर जुर्माना भरने में असमर्थ होने के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही। इस तरह कानून की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कैद केवल इसलिए जारी रहती है क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है। राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल में उम्रकैद की सजा भुगत रहे एक कैदी खरताराम की चिट्ठी को याचिका मानकर सुनाए गए अपने फैसले में कहा है कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और न ही यह किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार बन सकती है। पाली जिले का निवासी खरताराम हत्या के एक मामले में 2014 से सजा काट रहा है।

%जिला पैरोल कमेटी% ने 29 सितंबर 2025 को उसे चौथी बार 40 दिन की नियमित पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन इसके साथ 25-25 हजार रुपए के दो जमानती पेश करने की शर्त जोड़ दी गई।

आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण खरताराम यह शर्त पूरी नहीं कर सका। उसके पास वकील तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जेल से ही पोस्टकार्ड भेजकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने न केवल उसकी याचिका सुनी, बल्कि इस फैसले को ऐसे मामलों में एक नजीर के रूप में स्थापित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पैरोल या जमानत की शर्तें तय करते समय अधिकारियों को मशीनी रवैया छोड़कर मानवीय और संवैधानिक दृष्टि अपनानी होगी। यह फैसला केवल एक कैदी को राहत देने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है जिसमें देश के हजारों गरीब कैदी फंसे हुए हैं। सवाल केवल पैरोल का नहीं है। सवाल उस व्यापक ढांचे का है, जहां जमानत, पैरोल और अर्थदंड जैसे कानूनी प्रावधान गरीब व्यक्ति के लिए राहत नहीं, बल्कि नई सजा बन जाते हैं।

देश की जेलों में आज भी बड़ी सं या में ऐसे कैदी बंद हैं जिन्हें अदालतें जमानत या पैरोल दे चुकी हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वे सलाखों के पीछे पड़े हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है मगर जुर्माना भरने में असमर्थ होने के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही।

इस तरह कानून की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कैद केवल इसलिए जारी रहती है क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है। इसका सबसे सीधा असर जेलों पर पड़ता है। जेलें अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक भरी हुई हैं। विचाराधीन बंदियों की सं या बहुत अधिक है। जेलों में भीड़ के कारण कम जगह तथा सीमित संसाधनों का परिणाम खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में आता है। जेलों में अपराधियों को रखने के पीछे सुधार का मूल उद्देश्य भटक चुका है। यह समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 नवंबर 2022 को %संविधान दिवस% के अवसर पर स्वयं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को कहना पड़ा कि देश की जेलों में हजारों ऐसे कैदी बंद हैं जिनके पास जमानत पर रिहाई का कोर्ट आदेश तो है, लेकिन जमानत राशि के पैसे नहीं हैं। उन्होंने अदालतों और सरकार से इन कैदियों के लिए समाधान निकालने की अपील की थी। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट तलब कर ली। इसके बाद फरवरी 2023 में सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर सात महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत की मंशा साफ है कि जमानत आदेश की सार्थकता तभी है, जब वह वास्तव में किसी को जेल से बाहर ला सके। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश एक रिपोर्ट में सामने आया कि जनवरी 2023 तक 5,380 ऐसे कैदी थे, जिन्हें जमानत मिल चुकी थी, लेकिन वे अब भी जेलों में बंद थे। इन मामलों की वजह पैसे का अभाव ही था। 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल अदालतों को निर्देश दिए कि वे जमानत की शर्तें तय करते समय कैदियों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करें। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जमानत की शर्तें कैदी की हैसियत से परे हैं तो ऐसी जमानत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भी इसी सोच की अगली कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की इसी संवैधानिक सोच का अनुसरण करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अब यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसमें हाईकोर्ट ने माना है कि पैरोल एक सुधारात्मक अधिकार है, यह अमीरों का विशेषाधिकार नहीं है। कोर्ट ने अधिकारियों की उस प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें हर मामले में एक जैसी जमानत शर्तें थोप दी जाती हैं। यह भी नहीं देखा जाता कि कैदी उन्हें पूरा करने की स्थिति में है या नहीं। हाईकोर्ट द्वारा जारी की गई छह सूत्रीय गाइडलाइन से इस बात का संकेत मिलता है कि अदालतें अब केवल आदेश देने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल देना चाहती हैं। अदालतें बार-बार निर्देश दे रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि नीतियों और आदेशों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा? सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनावश्यक गिर तारी, रिमांड और जमानत के बावजूद जेल में बंद रखने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जता चुका है। कोर्ट ने गरीब कैदियों की मदद के लिए एक मानक प्रक्रिया और फंड की व्यवस्था की बात भी कही है, लेकिन अधिकांश राज्यों में यह पहल अमल तक पहुंचने के इंतजार में है। हाल में हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वह गरीब कैदियों को जमानत या जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देगी। जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। यह एक सकारात्मक कदम है जिसे अपवाद नहीं बल्कि नियम बनाया जाना चाहिए। सभी राज्यों को ऐसी योजनाएं लागू करनी होंगी। जमानत और पैरोल की शर्तें तय करते समय आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन होना चाहिए। जिला स्तर पर ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है, जो यह सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति को केवल गरीबी के कारण जेल में न रहना पड़े। गरीब कैदी अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को मजबूत करना होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हर जज किसी कैदी के पोस्टकार्ड को याचिका मान ले। जेलों को दंड के नहीं बल्कि सुधार के स्थान के रूप में देखने की सोच विकसित करने की जरूरत है। ऐसा होने पर ही अदालती फैसलों को सही मायने में क्रियान्वित किया जा सकेगा। समाधान साफ हैं, बस इच्छाशक्ति की जरूरत है।

विविध समाचार

खटकता था प्रेमिका का मासूम बेटा, क्रेच से अगवा कर ऑटो में घोंट दिया गला, 3 दिन पहले ही मनाया था पहला जन्मदिन

पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला से ममता और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। अवैध संबंधों के चलते एक शख्स ने अपनी प्रेमिका के महज एक साल के मासूम बेटे की निर्मम हत्या कर दी। इस घटना की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तीन दिन पहले ही बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया गया था। आरोपी को अपनी प्रेमिका के साथ बच्चे का होना पसंद नहीं था, इसलिए उसने साजिश रचकर पहले बच्चे को क्रेच (डे–केयर सेंटर) से अगवा किया और फिर ऑटो में गला दबाकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे का शव झाड़ियों से बरामद कर लिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि डेराबस्सी की रहने वाली एक महिला का पिंजौर निवासी युवक के साथ अफेयर चल रहा था। महिला जब भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी, तो अपने बेटे रेयांश को साथ ले जाती थी। आरोपी को अपनी प्रेमिका के साथ बच्चे की मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी और वह उसे अपने रिश्ते में बाधा मानता था। इसी वजह से उसने बच्चे को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई। आरोपी ने ही महिला को सलाह दी थी कि वह बच्चे को क्रेच में डाल दे, ताकि वे एकांत में समय बिता सकें। शातिर आरोपी करीब 15 दिन पहले खुद महिला के साथ जाकर सेक्टर–12। के उस क्रेच की रेकी भी करके आया था। योजना के मुताबिक, महिला ने बीते दिन (24 जनवरी) बच्चे को पहली बार सेक्टर–12। के क्रेच में भर्ती करवाया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद सुबह करीब 11 बजे आरोपी वहां पहुंच गया। उसने क्रेच संचालिका को झूठ बोला कि वह बच्चे का पिता है और उसे ले जाने आया है। संचालिका ने पुष्टि के लिए बच्चे की मां को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ होने के कारण बात नहीं हो सकी।

इस पर संचालिका ने भरोसा करके बच्चा आरोपी को सौंप दिया। क्रेच से बच्चे को लेकर आरोपी ऑटो से पिंजौर की ओर निकल गया। रास्ते में जब मासूम अपनी मां के लिए रोने लगा, तो आरोपी ने गुस्से में आकर चलती ऑटो में ही उसका गला दबा दिया। हत्या के बाद उसने शव को एक बोरी में भरकर सुखोमाजरी बाईपास के पास झाड़ियों में फेंक दिया। एएनसी टीम इंचार्ज एएसआई प्रवीन ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शुरुआती पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि, पुलिस कस्टडी में वह बार–बार अपने बयान बदल रहा है। कभी वह कहता है कि बच्चे के रोने पर उसे गुस्सा आ गया था इसलिए मारा, तो कभी कहता है कि वह महिला से पीछा छुड़ाना चाहता था और उसे डराने के लिए बच्चे को अगवा किया था।

पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि हत्या के वास्तविक कारणों और साजिश की पूरी गहराई तक पहुंचा जा सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृतक की मां के बीच अफेयर की पुष्टि हो चुकी है।

सोनीपत में प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन, चयनित युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति पत्र वितरित

चंडीगढ : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की देश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने की संकल्प सिद्धि की दिशा में आज दिनांक 24 जनवरी 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री रोजगार मेले के 18वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर देशभर के 45 स्थानों पर चयनित 61,656 युवक–युवतियों, जिनमें 8,000 से अधिक नारी शक्ति शामिल हैं, को विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अभियान के अंतर्गत ग्रुप केन्द्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी. एफ.), खेवड़ा, सोनीपत में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से अर्धसैनिक बलों में चयनित 103 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण खेवड़ा स्थित सी.आर.पी.एफ. समूह केन्द्र में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री कृष्ण पाल गुर्जर उपस्थित रहे, जिन्होंने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देशभर में आयोजित रोजगार मेलों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन का सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदैव रोजगार सृजन, नवाचार, तकनीक के उपयोग और नागरिकों को विकास के केंद्र में रखने पर बल दिया है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को पळव्ज कर्मयोगी पोर्टल पर 'कर्मयोगी प्रारंभ' ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है, जहां 1,588 से अधिक ई–लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। यह प्रशिक्षण युवाओं को उनकी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए सक्षम बनाएगा। इस अवसर पर सी.आर.पी.एफ. समूह केन्द्र खेवड़ा के पुलिस उप–महानिरीक्षक श्री अजीत सांगवान ने केंद्रीय राज्य मंत्री का अभिनंदन किया तथा नवनियुक्त युवाओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में श्री अमित कुमार, कमांडेंट–220 बटालियनय श्री दलजीत सिंह भाटी, द्वितीय कमान अधिकारीय श्री वेदपाल, उप कमांडेंट सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री द्वारा सफल एवं भव्य आयोजन के लिए ग्रुप केन्द्र, सी.आर.पी.एफ., सोनीपत की सराहना की गई।

बारिश व तेज हवाओं में भी नहीं गिरा जज्बा, अनिल विज ने नेताजी को किया नमन

चंडीगढ : नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती (पराक्रम दिवस) के अवसर पर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को अंबाला छावनी स्थित सुभाष पार्क में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तेज बारिश और हवाओं के बावजूद विज पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में पहुंचे और 12 फुट ऊंची प्रतिमा के समक्ष सैन्य अंदाज में सैल्यूट कर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 'नेताजी अमर रहें' के नारे लगाये। इस अवसर पर विज ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन देशभक्ति, साहस और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने कहा कि नेताजी के नाम पर अंबाला छावनी में सुभाष पार्क का निर्माण कराया गया है, जहां हर वर्ष उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब से यह पार्क बना है और नेताजी की प्रतिमा यहां स्थापित हुई है, तब से लगातार लोग यहां आकर प्रेरणा लेते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनायी जाती है। इसी क्रम में अंबाला छावनी में भी श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री अनिल विज ने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों के साथ नेताजी को नमन किया और इसके बाद जन्मदिवस के अवसर पर लड्डू भी बांटे। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष स्वर्ण कौर, भाजपा नेता संजीव सोनी, आशीष अग्रवाल और बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि 17 एकड़ में फैला सुभाष पार्क ऊर्जा मंत्री अनिल विज के प्रयासों से विकसित हुआ है। यह पार्क हरियाणा के सुंदरतम पार्कों में शुमार है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और नेताजी के विचारों की प्रेरणा लेते हैं।

मजे के लिए चाइनीज डोर इस्तेमाल करके दूसरों को सजा ना दें : अरुण संदल

जालंधर :चाइना डोर आज मौत का दूसरा नाम बन चुकी है। पुलिस प्रशासन कई सालों से प्रयास कर रहा है पर इस पर चाइनीज मौत पर काबू पाना उसके बस में भी नहीं लग रहा। यह कहना है सतगुरु कबीर टाइगर फोर्स के प्रधान अरुण संदल का। इस बारे में उन्होंने कहा कि चाइना डोर हर बार बसंत पर्व पर कई जाने ले लेती है फिर चाहे वो इंसानी हो या फिर पशु–पक्षियों की। इंसानी जान के बारे में अगर बात करें तो अक्सर लोग पतंगें उड़ाने में चाइनिस डोर का इस्तेमाल करते हैं जो पतंग कटने के बाद हर गली–चोराहे पर किसी पेड़ या फिर खंबे से लटकी मिलती है जो आने–जाने वाले राहगीरों के गले में फसने से उनका खासा नुक्सान करती है अभी हाल ही में जालंधर में एक छोटे बच्चे के गले में चाइनीज डोर के कारण गहरा कट लग गया पर समय रहते ही पास खड़े लोग उसे अस्पताल ले गए और उसकी जान बच गई। इसके अलावा हाईटैंशन तारों या फिर बिजली के ट्रांस्फार्मर से अटकी इस मौत की डोर को जब कोई खींच कर उतारने की कोशिश भी करता है तो वो भी इसकी चपेट में आ जाता है और जोरदार झटके से अपना ही नुक्सान कर बैठता है। इसी डोर को खींचते वक्त पता नहीं जाने–अनजाने में कितने जानलेवा कांड हो चुके हैं।

विकास महाजन ने थाईलैंड में बढ़ाया देश का मान, जिमखाना में मिला सम्मान

जालंधर : थाईलैंड में आयोजित सिक्स थाईलैंड वरिष्ठ खेल प्रतियोगिता में विकास महाजन ने टेबल टेनिस में शानदार प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अनुशासन, समर्पण और खेल भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। भारतीय दल ने चौथे दौर में थाईलैंड 'बी' दल को 3–0 से पराजित किया।

इसके बाद अर्ध–फाइनल मुकाबले में फिनलैंड के दल को तीन–एक से हराकर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया। फाइनल मुकाबले में भारतीय दल को थाईलैंड 'ए' दल के विरुद्ध तीन–शून्य से पराजय का सामना करना पड़ा। 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में भारत की ओर से विक्रम, विकास, मनमीत और हरजिंदर ने दल का प्रतिनिधित्व किया। इस उपलब्धि पर विकास महाजन ने कहा कि देश के लिए खेलकर भारत का नाम रोशन करना उनके लिए गर्व का विषय है। उनका यह प्रदर्शन युवाओं और खिलाडियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की खुशी और राष्ट्र गौरव की भावना के साथ आज जिमखाना क्लब परिसर में गणतंत्र दिवस को पूरे जोश, उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में भव्य रूप से मनाया गया। इस दौरान विकास व उनकी टीम को सम्मानित किया गया। आज का कार्यक्रम प्रशिक्षक अरुण, प्रशिक्षक रजत, प्रशिक्षक नेहा, प्रशिक्षक नंदनन और प्रशिक्षक कीर्ति द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम खेल, टीम भावना और राष्ट्रप्रेम का सुंदर उदाहरण बना। सभी ने मिलकर इस अवसर को यादगार बनाया और विकास महाजन के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

भविष्य निर्माण के लिए अतीत के सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव जरूरी

देश में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर देने और भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए दयानंद एंग्लो–वैदिक विद्यालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत रायका जन्म पंजाब के मोगा जिले केधुडीके गांव में 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल जैन परिवार में पिता फारसी व उर्दू के विद्वान मुंशी कृष्ण आजाद व माता धर्म परायनी गुलाब देवी के घर में हुआ था।लाला लाजपत राय ने हरियाणा के रोहतक और हिसार के सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1880 में लाहौर के राजकीय कॉलेजमें कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश लिया।1886 में उन्होंने हिसार में वकालत शुरू की। बाद में वे लाहौर चले गए और पंजाब उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। लाला लाजपत राय न केवल एक शिक्षित वकील थे, बल्कि उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था।विशेष रूप से हरियाणा के हिसार और रोहतक में उनकी वकालत और आर्य समाज के माध्यम से किए गए सुधारात्मक कार्य उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी होने के प्रमाण हैं।उन्होंने 1894 में स्वदेशी की भावना के साथ पंजाब नेशनल बैंक की नींव रखने में मदद की, जो आज भी भारत के प्रमुख बैंकों में से एक है। वे 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे।1921 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अछूतोद्धार और सामाजिक सेवा के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल, बाल, पाल नाम से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक और पंजाब केसरी अर्थात पंजाब का शेर के नाम से लोकप्रिय लाला लाजपत राय ने बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर कांग्रेस के भीतर गरम दल का नेतृत्व किया। उन्होंने पूर्ण स्वराज (स्वतंत्रता) की वकालत की और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया।1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को पंजाब और शेष भारत में मजबूती से फैलाया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया।शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।लाला हंसराज के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिकसंस्थानों की स्थापना करना उनके दूरदर्शी होने का प्रतीक था, ताकि भारतीय युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ अपनी संस्कृति का भी ज्ञान मिले। एक प्रखर लेखक के रूप में लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया,द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आदि प्रसिद्ध पुस्तकें लिखीं और यंग इंडिया, द पंजाबी आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया।आज के संदर्भ में, 2026 में भी उनकी शिक्षाएं और राष्ट्रवाद के प्रति उनका समर्पण करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। ऐतिहासिक विवरणियों के अनुसार 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध नारा दिया– साइमन गो बैक। विरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स ए. स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। इस दौरान लाला जी के सीने और सिर पर गंभीर चोटें आईं। इन गंभीर चोटों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 17 नवम्बर 1928 को लाहौर (अब पाकिस्तान) में उनका निधन हो गया हो। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया हिंसक लाठीचार्ज था। 30 अक्टूबर 1928 कोब्रिटिश पुलिस की पिटाई से घायल होने के बाद उन्होंने ऐतिहासिक शब्द कहे थे– मेरे शरीर पर पड़ी एक–एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। उनका यह अंतिम सार्वजनिक उक्ति आज भी राष्ट्रवाद का सबसे शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। 30 अक्टूबर 1928 की वह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई थी। 17 नवम्बर 1928 को लालाजी की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर दिया था।इस घटना ने भारत की पूर्ण स्वराज की मांग को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की थी। उनके बलिदान ने भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन की आग में घी का काम किया था।उनके बलिदान का बदला लेने के लिए ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मूल रूप से जे.ए. स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, क्योंकि उसी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया था। हालांकि, पहचान की चूक के कारण सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी. सॉन्डर्स मारा गया। इसके बाद क्रांतिकारियों ने पर्चे बांटे थे जिन पर लिखा था– लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। इसी लाहौर केसके कारण अंततः 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। इस तरह लालाजी के बलिदान ने न केवल युवाओं को प्रेरित किया, बल्कि ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत भी कर दी थी। लाला लाजपत राय न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक और उद्यमी भी थे।उनके द्वारा 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी बीमा कंपनी, आदि स्वदेशी वित्तीय संस्थान तथा पंजाब और उत्तर भारत में स्थापित डीएवी विद्यालयों और कॉलेज आदि संस्थाएं संस्थाएं आज भी भारत की आर्थिक और शैक्षिक नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, जो लाला लाजपत राय की दूरदर्शिता को सिद्ध करती हैं।लाला लाजपत राय के साहित्यिक और भाषाई योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक प्रखर विद्वान और हिन्दी के प्रबल समर्थक भी थे।उन्होंने शिवाजी और श्रीकृष्ण के साथ–साथ मैजिनी और गैरीबॉल्डी जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रांतिकारियों की जीवनियां इसलिए लिखीं ताकि भारतीय युवा उनसे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकें। उनका मानना था कि भाषा राष्ट्र की एकता का आधार होती है। उन्होंने पंजाब में उर्दू के प्रभुत्व के बीच हिन्दी को पहचान दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया।उन्होंने हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने हेतु व्यापक जन–समर्थन जुटाया था। हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था।उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अनहैप्पी इंडियाब्रिटिश शासन के दुष्प्रचार का करारा जवाब थी। इसका हिन्दी अनुवाद दुखी भारतनाम से हुआ।वर्ष 2026 में भी, जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिके माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है,लालाजी के हिन्दी सेवा के प्रयास अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होते हैं।लाला लाजपत राय के कुछ अत्यंत प्रेरणादायक और दूरदर्शी अनमोल वचन आज भी प्रासंगिक हैं। ये विचार आज 2026 में भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवनकाल में थे।लाला लाजपत राय कायह कथन आज भी हमें शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता और सतत प्रगति की सोच को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें उन्होंने कहा था –अतीत को देखते रहना व्यर्थ है, जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। उल्लेखनीय है कि अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य करना, न केवल एक विचार है, बल्कि राष्ट्र के उत्थान का एक ठोस मार्ग है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, मंगलवार 22 सितंबर 2026 | पृष्ठ-6

केन्द्रापाड़ा में नदी किनारे मगरमच्छ के हमले में महिला की मौत

केंद्रपाड़ा २१/०९ (संवाददाता): ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्छ के कथित हमले में 56 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना महाकालपाड़ा ब्लॉक के खरिनासी गांव के पास बहने वाली गालिया नदी में हुई। मृत महिला की पहचान खरिनासी निवासी हेमलता दास के रूप में हुई है। वह स्वर्गीय समर दास की पत्नी थीं। घटना के बाद नदी किनारे बसे गांवों के लोगों में दहशत का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, हेमलता दास मंगलवार सुबह करीब आठ बजे गांव के पास स्थित खेतों की ओर गई थीं। इसी दौरान वह गालिया नदी के किनारे पहुंचीं। आशंका जताई जा रही है कि नदी के पास मौजूद मगरमच्छ ने अचानक उन पर हमला कर दिया और उन्हें खींचकर गहरे पानी में ले गया। घटना के समय आसपास मौजूद लोगों को इसकी जानकारी मिलने पर गांव में अफरा-तफरी मच गई।

महिला के नदी में लापता होने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। ग्रामीण नदी किनारे और आसपास के पानी में काफी देर तक खोजबीन करते रहे। काफी प्रयास के बाद हेमलता को पानी से बाहर निकाला गया। उनकी स्थिति गंभीर थी। स्थानीय लोग उन्हें तत्काल रामनगर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक स्तर पर उनकी स्थिति को देखते हुए उच्च चिकित्सा केंद्र ले जाने की सलाह दी गई। इसके बाद हेमलता दास को केंद्रपाड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। गांव के लोग भी घटना से स्तब्ध हैं। नदी किनारे मगरमच्छ की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय स्तर पर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि महिला संभवतः शौच के लिए नदी किनारे गई थीं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए हेमलता किस उद्देश्य से नदी के पास पहुंची थीं, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इतना बताया गया है कि वह सुबह खेतों की ओर निकली थीं और बाद में नदी में मगरमच्छ के हमले की शिकार हो गईं। गालिया नदी महानदी नदी तंत्र की एक शाखा बताई जाती है। यह क्षेत्र नदियों, खाड़ियों और दलदली जलस्रोतों से घिरा हुआ है। केंद्रपाड़ा जिले में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास खारे पानी के मगरमच्छ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। नदी तंत्र आपस में जुड़ा होने के कारण मगरमच्छ कई बार संरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलकर गांवों के पास स्थित नदियों और नालों तक पहुंच जाते हैं। मानसून और बाढ़ के दौरान नदियों का जलस्तर बढ़ने पर मगरमच्छों के नए क्षेत्रों में पहुंचने की आशंका भी बढ़ जाती है। पानी फैलने से नदी, नाले, तालाब और खेत आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मगरमच्छ मानव बस्तियों के आसपास दिखाई दे सकते हैं। नदी किनारे

रहने वाले लोग नहाने, कपड़े और बर्तन धोने, मछली पकड़ने तथा अन्य दैनिक जरूरतों के लिए जलस्रोतों पर निर्भर रहते हैं, जिससे मानव और वन्यजीव के आमने-सामने आने का खतरा बना रहता है। केंद्रपाड़ा में इससे पहले भी मगरमच्छों के हमलों की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अगस्त में जिले की नदियों के आसपास अलग-अलग घटनाओं में लोगों को मगरमच्छ द्वारा खींचे जाने की रिपोर्ट मिली थी। ऐसी घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने बाढ़ प्रभावित और नदी किनारे बसे गांवों के लिए अलर्ट जारी किया था। लोगों को मगरमच्छ दिखाई देने पर तत्काल संबंधित विभाग को सूचना देने और असुरक्षित घाटों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई थी। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद केंद्रपाड़ा के कई गांवों में मगरमच्छों के पहुंचने का खतरा बढ़ गया था। अधिकारियों ने ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने और सुरक्षित स्थानों का ही उपयोग करने की अपील की थी। इसके बावजूद नदियों पर दैनिक निर्भरता के कारण ग्रामीणों के लिए खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। खरिनासी के पास हुई ताजा घटना के बाद स्थानीय लोग नदी किनारे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग कर सकते हैं। ऐसे संवेदनशील स्थानों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षित स्नान घाट बनाए जाने से जोखिम कम किया जा सकता है। ग्रामीणों को सुबह जल्दी, देर शाम और रात के समय अकेले नदी किनारे नहीं जाने की सलाह भी दी जाती है, क्योंकि इन अवधियों में पानी में मौजूद मगरमच्छ आसानी से नजर नहीं आते। विशेषज्ञों के मुताबिक, मगरमच्छ पानी की सतह के नीचे छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर सकते हैं।

इसलिए केवल पानी शांत दिखाई देने से उसे सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए। नदी किनारे पशुओं को ले जाना, पानी में उतरना या असुरक्षित घाटों का इस्तेमाल करना जानलेवा साबित हो सकता है। बच्चों और बुजुर्गों को अकेले नदी के पास भेजने से भी बचना चाहिए। हेमलता दास की मौत ने एक बार फिर नदी किनारे बसे लोगों की सुरक्षा का सवाल खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों का जीवन और आजीविका जलस्रोतों से जुड़ी है, जबकि यही जलस्रोत मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भी हैं। ऐसे में वन्यजीव संरक्षण के साथ स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षित घाट, पेयजल और स्वच्छता की वैकल्पिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। घटना से संबंधित वन विभाग या प्रशासन का विस्तृत आधिकारिक बयान सामने आने के बाद ही मगरमच्छ की प्रजाति, हमले की सटीक परिस्थितियों और सहायता संबंधी जानकारी स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल उपलब्ध प्रारंभिक विवरण के अनुसार महिला की मौत नदी में मगरमच्छ के हमले के बाद हुई बताई जा रही है।

ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी के अलर्ट के बाद 20 जिलों में प्रशासन मुस्तैद

भुवनेश्वर २१/०९ (संवाददाता): बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने और भारी बारिश तथा तेज हवाएं चलने के भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुमान के बाद ओडिशा सरकार ने रविवार को तैयारियां तेज कर दीं।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने दक्षिणी और तटीय ओडिशा के 20 जिलों के जिलाधिकारियों को 'हाई अलर्ट' पर रहने को कहा है, जबकि 10 अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। आईएमडी के अनुसार, गहरा दबाव, कम दबाव वाली प्रणाली का अधिक तीव्र चरण होता है और यह आगे चलकर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा, ''आईएमडी ने हमें बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव वाला क्षेत्र धीरे-धीरे तीव्र हो रहा है और 23 सितंबर को गहरे दबाव के रूप में दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश तट पर पहुंचने का अनुमान है।

हम इसके अनुसार तैयारियां कर रहे हैं।'' विशेष राहत आयुक्त राजेश प्रवाकर पाटिल ने कहा कि जिलों और अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सतर्क रहें और बदलते मौसम पर नजर रखें। आईएमडी ने शाम के बुलेटिन में बताया कि रविवार शाम 5.30 बजे कम दबाव वाला क्षेत्र पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ था और इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने तथा सोमवार को दबाव वाले क्षेत्र में और 22 सितंबर को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरे दबाव में बदलने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने बताया कि यह प्रणाली 23 सितंबर की सुबह उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट के पास पश्चिम-मध्य और उससे सटी उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकती है। आईएमडी ने इस प्रणाली के प्रभाव से राज्य में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है और 23 तथा 24 सितंबर के लिए दक्षिणी जिलों में कई स्थानों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, ओडिशा में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि सोमवार तक गरज के साथ बूंदाबांदी और मध्यम बारिश जारी रहेगी, जबकि 22 सितंबर से बारिश की तीव्रता बढ़ने का अनुमान है। दक्षिणी ओडिशा के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया गया है। आईएमडी ने 27 सितंबर तक अलग-अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं।

आरएसपी की न्यू प्लेट मिल ने अगस्त में महत्वपूर्ण एवं विशेष ग्रेड के उत्पादन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया

राउरकेला २१/०९ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र की प्रमुख उत्पादन इकाइयों में से एक न्यू प्लेट मिल (एन.पी.एम.) ने अगस्त 2026 में उल्लेखनीय उत्पादन उपलब्धियाँ हासिल की हैं। इससे मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादन में मिल की महत्वपूर्ण भूमिका और सुदृढ़ हुई है। माह के दौरान मिल में महत्वपूर्ण सेग्मेंट के अंतर्गत 8 मि.मी. प्लेटों का 2,614 टन तथा 10 मि.मी. प्लेटों का 3,768 टन उत्पादन किया गया।

यह मिल द्वारा उच्च योगदान वाले एवं उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के उत्पादन पर दिए जा रहे विशेष जोर को दर्शाता है। विशेष इस्पात श्रेणी में एन.पी.एम. ने अगस्त माह में 70 टन नौसेना ग्रेड इस्पात का उत्पादन किया।

इसके अलावा, मिल ने 350 सी. ग्रेड के 4,414 टन तथा 410बी.आर. और

450बी.आर. जैसे अन्य उच्च ग्रेड के 4,114 टन इस्पात का उत्पादन किया। इससे उच्च शक्ति वाले इस्पात उत्पादों के उत्पादन के प्रति मिल की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। अप्रैल से अगस्त 2026 की अवधि के दौरान न्यू प्लेट मिल ने अपने नए उत्पाद विकास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ए.टी.एम. चेस्ट के लिए 30 टन सेल हिटेन तथा ए.पी.आई. एक्स.52 लाइन-पाइप ग्रेड इस्पात का 1,245 टन उत्पादन किया। इन पांच महीनों के दौरान नेवल ग्रेड प्लेटों का संचयी उत्पादन 462 टन रहा, जो रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक इस्पात की आपूर्ति में निरंतर प्रगति को रेखांकित करता है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान निर्यात प्रदर्शन भी सुदृढ़ रहा। इस अवधि में मिल से कुल 26,823 टन इस्पात का निर्यात प्रेषण किया गया। इससे सेल के समग्र विकास और बाजार में उसकी उपस्थिति को मजबूत करने में राउरकेला इस्पात संयंत्र के योगदान को और बल मिला है।

लकड़ी तस्करी पर शिकंजा, लाखों की जब्ती

गंजम २१/०९ (संवाददाता): वन विभाग ने गंजम जिले के भंजनगर में दक्षिण घुमुसर वन प्रभाग के बडागड़ा वन रेंज के तहत गंगापुर गांव के पास अवैध लकड़ी तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया और 3 लाख रुपये से ज्यादा की लकड़ी और गाड़ी ज़ब्त की। एक सूचना के आधार पर, वन अधिकारियों ने कीमती लकड़ी से लदी एक पिकअप वैन को ज़ब्त कर लिया, जिससे उसकी अवैध ढुलाई रोक दी गई। अधिकारियों के अनुसार, जानकारी मिली थी कि एक पिकअप वैन का इस्तेमाल महंगी लकड़ी की तस्करी के लिए किया जा रहा है। इसके बाद, बडागड़ा रेंज के वन अधिकारी ने एक विशेष प्रवर्तन टीम के साथ मिलकर एक ऑपरेशन शुरू किया और संदिग्ध वाहन का पीछा करना शुरू कर दिया। वन विभाग की गाड़ी को देखते ही ड्राइवर पिकअप वैन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वन टीम ने गंगापुर गांव के पास लकड़ी से लदी गाड़ी को सफलतापूर्वक रोक लिया और ज़ब्त कर लिया.ज़ब्त किए गए माल में सागौन और गंभारी की लकड़ी शामिल थी, जिन्हें कीमती वन उत्पाद माना जाता है। अधिकारियों ने पुष्टि की कि ऑपरेशन के दौरान कुल 46 ब्लॉक्स लकड़ी बरामद की गई।

बडागड़ा के रेंज वन अधिकारी अंजन कुमार नायक ने कहा, हमें मिली जानकारी के आधार पर, हम पिछले चार दिनों से संदिग्धों पर नज़र रख रहे थे। कल रात, हमने उन्हें सफलतापूर्वक रोक लिया, और पुलिस की मदद से, हम गाड़ी का पता लगाकर उसे ज़ब्त करने में कामयाब रहे। ज़ब्त की गई लकड़ी की कीमत 70,000 रुपये से ज्यादा होने का अनुमान है, जबकि गाड़ी की कीमत 2 लाख रुपये से ज्यादा है। कुल मिलाकर, ज़ब्त की गई संपत्ति की कीमत 3 लाख रुपये से ज़्यादा है। ज़ब्त की गई पिकअप वैन और लकड़ी की अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये है। बडागड़ा रेंज के वन अधिकारी ने बताया कि तस्करी नेटवर्क में शामिल लोगों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है। यह सफल ऑपरेशन अवैध लकड़ी व्यापार पर अंकुश लगाने और वन संसाधनों की रक्षा के लिए वन विभाग के लगातार प्रयासों को उजागर करता है। अधिकारियों ने दोहराया है कि वन संबंधी अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे क्षेत्र में सक्रिय लकड़ी तस्करों को एक स्पष्ट चेतावनी दी गई है।

राउरकेला के एक व्यक्ति से 1.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा

राउरकेला २१/०९ (संवाददाता): सुंदरगढ़ में साइबर क्राइम और आर्थिक अपराध शाखा की पुलिस ने एक जोड़े को निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करके शहर के एक निवासी से 1.26 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी अविनाश ग्रहचार्य (42) और उनकी पत्नी इंदुलेखा ओझा (40) बालासोर जिले के बेरहामपुर गांव के रहने वाले हैं। उन्हें शनिवार को मयूरभंज के बारीपदा से गिरफ्तार किया गया और रविवार को अदालत में पेश किया गया। सुंदरगढ़ की ASP सांता नूतन समाद ने बताया कि पीड़ित ने 17 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इस जोड़े ने निवेश पर ज्यादा ब्याज और अच्छी बढ़ोतरी का वादा करके उनसे और उनकी पत्नी से कुल 1.26 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। शिकायत के आधार पर, ब्नस की धाराओं 318(2), 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी जोड़े ने पहले भी इसी तरह कई भोले-भाले लोगों को ठगा था। इस जोड़े ने निवेशकों को ठगने के लिए भुवनेश्वर में %माई डिजिटल लॉकर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी भी बनाई थी। ASP ने बताया कि आरोपी अगस्त 2024 में पीड़ित के संपर्क में आए थे और उन्हें अच्छा रिटर्न पाने के लिए अपना पैसा निवेश करने के लिए मनाया था। समाद ने कहा, इसके बाद, पीड़ित और उनकी पत्नी ने कंपनी को किश्तों में 77.86 लाख रुपये और 45.60 लाख रुपये ट्रांसफर किए, जो कुल मिलाकर 1.26 करोड़ रुपये थे। जब पीड़ित को वादा किया गया रिटर्न नहीं मिला, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई।

जिलों में नगर निकाय चुनावों की प्रक्रिया शुरू

भुवनेश्वर २१/०९ (संवाददाता):नई बनी नोटिफाइड एरिया काउंसिल (ह्रण्द्ध), नगर पालिकाओं और नगर निगमों के चुनावों की प्रक्रिया शुरू करते हुए, ओडिशा सरकार ने इस संबंध में 18 जिलों के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखा है। एक पत्र में, आवास और शहरी विकास विभाग ने कलेक्टरों को मार्च तक वार्डों के परिसीमन और सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

राउरकेला में 122 एथलीटों के साथ 43वीं स्टेट साइकलिंग चैंपियनशिप की शुरुआत

राउरकेला २१/०९ (संवाददाता): 43वीं स्टेट साइकलिंग चैंपियनशिप आधिकारिक तौर पर 19 सितंबर को राउरकेला स्टील टाउनशिप में शुरू हुई, जिसमें तीन दिवसीय प्रतियोगिता के लिए राज्य भर के 122 शीर्ष साइकिल चालकों को एक साथ लाया गया।

प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में तीन आयु वर्गों में प्रतिस्पर्धा करने वाले एथलीट शामिल हैं-अंडर-14, अंडर-18 और अंडर-23। उच्च ऊर्जा समय परीक्षणों के साथ शहर के रिंग रोड पर कार्रवाई जल्दी शुरू हुई।

अंडर-14 साइकिल चालकों ने 10 किमी के कोर्स पर अपनी गति का प्रदर्शन किया, जबकि अंडर-18 और अंडर-23 दावेदारों ने 20 किमी की कठिन दूरी पर अपनी सहनशक्ति का परीक्षण किया। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत प्रमुख खेल हस्तियों ने की, जिनमें ओडिशा साइकिलिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष और अर्जुन पुरस्कार विजेता श्रीमती मिनाती महापात्रा और अनुभवी स्थानीय साइकिल चालक श्री सुभाष दास शामिल थे।

शीर्ष सम्मान के लिए 122 प्रतिभागियों के बीच हो रहे इस मुकाबले के साथ, टाउनशिप अगले दो दिनों तक रोमांचक और तेज-तर्रार रेसिंग की गवाह बनेगी।